कार्यालय–अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

प्रेस विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 1985 एवं उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–153/xxx(2)2010, दिनांक 09 अप्रैल 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली 2015 में निहित प्राविधानों के अनुसार गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर गढ़वाल मण्डलान्तर्गत संलग्न सूची में अंकित कनिष्ठ सहायक (21700–69100, लेवल–3) को वरिष्ठ सहायक (29200–92300, लेवल–5) के पद पर पदोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के शासनादेश संख्या–12 / xxxvi(3)/2018/20(1)/2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 की धारा–18 (2) एवं धारा–7 (घ) के अनुसार ***दिनांक 04.06.2018*** को पदस्थापना हेतु काउंसिलिंग की तिथि निर्धारित की जाती है। उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि सूची में अंकित कार्मिक यदि अधिनियम की धारा–7 (घ) में निहित बिन्दुओं के अनुसार आच्छादित होते हैं, वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत एवं सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र *दिनांक 02.06.2018* तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। काउंसिलिंग में उपस्थित प्रत्येक कार्मिक विभागीय पोर्टल पर अंकित अपना ई–पोर्टल सेवा विवरण, जो कि सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित हो, काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत करेंगे। अतः सूची में अंकित कार्मिक दिनांक 04.06.2018 को प्रातः 11.00 बजे पदस्थापना हेतु इस कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। पदोन्नति हेतु अर्ह कार्मिकों की उक्त सूची विभागीय वैबसाईट <u>www. schooleducation</u>.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।

31.05.18

(एस0 पी0 खाली)
प्र0 अपर निदेशक (प्रा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
31-05-18

पृ0सं0/सेवा0अराज0/ 1718-20 /पदो0/2018–19 दिनांक 31-05-18 मई 2018

प्रतिलिपि– सम्पादक, दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला/दैनिक जागरण/ हिन्दुस्तान को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्तानुसार अपने समाचार पत्र में निर्धारित 6 x 6 साईज के अनुसार निर्धारित शुल्क पर प्रकाशित करने का कष्ट कीजियेगा।

31.05.18

(एस0 पी0 खाली)
प्र0 अपर निदेशक (प्रा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
31-05-18

Scanned by CamScanner

तत्काल / महत्वपूर्ण

प्रेषक,

अपर निदेशक (प्रा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

सेवा में,

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0)
गढ़वाल मण्डल।

पत्रांक / सेवा0अराज0 / /3 ख (4) / पदो0 / 2018–19 दिनांक 31 मई 2018

विषयः– ***कनिष्ठ सहायक से वरिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति के संदर्भ में काउंसिलिंग विषयक।***

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा लिपिक वर्ग सेवा नियमावली 1985 एवं उत्तराखण्ड शासन, कार्मिक अनुभाग–2 की अधिसूचना संख्या–153 / XXX(2)2010, दिनांक 09 अप्रैल 2016 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली 2015 में निहित प्राविधानों के अनुसार गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर गढ़वाल मण्डलान्तर्गत संलग्न सूची में अंकित कनिष्ठ सहायक (21700–69100, लेवल–3) को वरिष्ठ सहायक (29200–92300, लेवल–5) के पद पर पदोन्नति दिये जाने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 के शासनादेश संख्या–12 / XXXVI(3) / 2018 / 20 (1) / 2017 दिनांक 05 जनवरी 2018 की धारा–18 (2) एवं धारा–7 (घ) के अनुसार ***दिनांक 04.06.2018*** को पदस्थापना हेतु काउंसिलिंग की तिथि निर्धारित की जाती है।

उक्त के संदर्भ में अवगत कराना है कि सूची में अंकित अधिनियम की धारा–7 (घ) में निहित निम्नांकित बिन्दुओं के अनुसार आच्छादित होते हैं, वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत एवं सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र ***दिनांक 02.06.2018*** तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

1. ***वरिष्ठ कार्मिक (31 मई 2018 को 55 वर्ष पूर्ण कर चुके हों)***
2. ***ऐसे कार्मिक, जो दुर्गम क्षेत्र में पूर्व में ही न्यूनतम 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों और***
3. ***धारा–3 के अधीन गम्भीर रूप से रोगग्रस्त / विकलांगता की श्रेणी में आने वाले कार्मिक, जो कि सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करें।***
4. ***ऐसे पति–पत्नी, जिनका एकलौता पुत्र / पुत्री विकलांगता की परिभाषा में सम्मिलित हो।***
5. ***सैनिक तथा अर्धसैनिक बलों में तैनात कार्मिकों की पति / पत्नी।***

उक्त बिन्दुओं से आच्छादित होने वाले कार्मिकों को काउसंलिग में वरियता दिये जाने के पश्चात वरिष्ठतानुसार शेष कार्मिकों को पदस्थापना हेतु आमंत्रित किया जायेगा। काउंसिलिंग में उपस्थित प्रत्येक कार्मिक विभागीय पोर्टल पर अंकित ई–पोर्टल सेवा विवरण सम्बन्धित संस्थाध्यक्ष द्वारा सत्यापित भी साथ लायेंगे। अतः दिनांक 04.06.2018 को सूची में

Scanned by CamScanner

अंकित कार्मिकों को प्रातः 11.00 बजे पदस्थापना हेतु इस कार्यालय में उपस्थित होने के संदर्भ में अपने स्तर से सूचित करना सुनिश्चित करें। पदोन्नति हेतु अर्ह कार्मिकों की उक्त सूची विभागीय वैबसाईट www. schooleducation.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है।

संलग्नः– उक्तवत।

भवदीय

(एस0 पी0 खाली)
प्र0 अपर निदेशक (प्रा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

पृ0सं0 / सेवा0अराज0 / 1721-34 / 3 ख (4) / पदो0 / 2018–19 दिनांक उक्तवत।

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. अपर निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी, गढ़वाल मण्डल।
4. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, गढ़वाल मण्डल।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा0शि0 / मा0शि0), गढ़वाल मण्डल।
6. मण्डलीय अध्यक्ष / सचिव, एजूकेशन मिनिस्ट्रियल ऑफिसर्स एसोसियेशन, गढ़वाल मण्डल।
7. एन0आई0एस0 प्रभारी, निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि सूची एवं उक्त पत्र को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करें।

31.05.18

(एस0 पी0 खाली)
प्र0 अपर निदेशक (प्रा0शि0)
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
31-05-18

Scanned by CamScanner